

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखंड, राँची
(बाल शिक्षा भत्ता योजना) (CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE SCHEME)

(का. आदेश संख्या A 27012/02/2017-स्था (ए एल)/दिनांक: 17 जुलाई 2018)

1. कर्मचारी का नाम

2. कर्मचारी पहचान पत्र /संख्या

3. पदनाम

4. लेखा संख्या (A/C No.) -

वे बच्चे जिनके लिए बाल शिक्षण भत्ता (C.E.A) / हॉस्टल अनुदान (Hostel subsidy) का दावा किया गया है उनका विवरण

क्रम स.	क्रम	बच्चे का नाम	जन्म तिथि	स्कूल का नाम	वर्ग	दावा का अवधि
1.	पहला बच्चा					
2.	दूसरा बच्चा					
3.						

नोट 1. यदि किसी बच्चे का दावा उसी वर्ग के लिए किया गया जिसके लिए पूर्व में दावा किया गया था तो पूर्व एवं वर्तमान वर्ष का रिपोर्ट कार्ड संलग्न करें एवं कारण का उल्लेख करें।

2. यदि तीसरे बच्चे का दावा प्रस्तुत किया जाता है तो कारण स्पष्ट करें।

3. क्या बाल शिक्षण भत्ता दावा पहली बार किया गया है या पूर्व में किया गया था। - हाँ / नहीं

बाल शिक्षण भत्ता (C.E.A.) की प्रति पूर्ति का दावा करने के लिए सरकारी कर्मचारी को उस अवधि के लिए, जिसके लिए दावा किया गया है के लिए संस्थान प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना चाहिए। प्रमाण पत्र में यह पुष्टि की जानी चाहिए कि बच्चा पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल में अध्ययनरत है।

यदि इस तरह का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो सकता है, रिपोर्ट कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति स्व प्रमाणित शुल्क रसीद (ई रसीद सहित) जो यह पुष्टि /स्पष्ट करता हो कि पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस जमा की गई है जिसे बाल शिक्षण भत्ता (C.E.A.) को दावा करने के लिए एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(1.) प्रमाणित किया गया है कि

(क) जैसे की ऊपर उल्लेख किया गया है की मेरा बच्चा/बच्चे जिनके संबंध में ट्यूशन फीस के पुनर्भुगतान का किया गया है ऊपर उल्लिखित स्कूल में अध्ययन कर रहा / रहे, है मान्यता प्राप्त स्कूल है/ और मैंने उसके लिए ट्यूशन फीस का भुगतान किया है

(ख) मेरी पत्नी/ पति सरकारी सेवा में नहीं है।

(ग) मेरी पत्नी/ पति सरकारी सेवा में है और उसके/उनके द्वारा पुनर्भुगतान का कोई दावा नहीं किया जाएगा।

(घ) उपर्युक्त उल्लिखित बच्चा/बच्चे केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए है।

(च) जो कि पूर्व में मैंने उपयुक्त ट्यूशन फीस का दावा नहीं किया है।

लागू नहीं होने पर उसे हटा दिया जाए।

सरकारी कर्मचारी का नाम एवं हस्ताक्षर

मोबाइल न.

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

जारी की गई कुल राशि (.....) मात्र

आ.प्र.प्र./ले.प./व.ले.प.

स.ले.प.अ./स्था- II

व.ले.प.अ./स्था- II